

4/11/25

पत्राठ पैश हुई। कोई भी उपर नहीं हुआ
पुनः आवाज लगवाई गई लेकिन कोई
भी उपर नहीं हुआ। पुनः 5:30 PM
पर आवाज लगवाई गई लेकिन फरीकन
व अधिवक्ता उपर नहीं हुए। अतः पत्राठ
अदम पैशवी, अदम हाजिरी इसी स्तर
पर खारिज की जाती है। पत्राठ फंसल
शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर
ढाखिल दफतर हो।

न्यायालय

राजस्व

1. वकील

2. वकील

3. वकील

4. वकील

5. वकील

6. वकील